सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

अनुस्मारक–1

पत्रांक– 1114 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026 दिनांक–04–11–2026

सेवा में,

1. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
 समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2. **नोडल अधिकारी,**
 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या–25241 / 2026 के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय परिसरों में निराश्रित श्वानों के संबंध में नोडल अधिकारी नामित करने एवं आवश्यक कार्यवाही व सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1157 / सत्तर–3–2026–2006547 दिनांक 30–10–2026 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 25241 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 के अनुपालन में निराश्रित श्वानों से संबंधित सूचनाओं को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित कराने तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

तद्क्रम में शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने महाविद्यालय परिसर में निराश्रित श्वानों की स्थिति, उनसे संबंधित शिकायतों अथवा घटनाओं, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, **महाविद्यालय स्तर पर एक उत्तरदायी अधिकारी (नोडल अधिकारी) को नामित करते हुए उसका नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएँ** अपेक्षित सूचनाओं का निर्धारित पोर्टल www.nagarvikasup.org पर अंकन संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्देशों एवं अधिकृत लॉग–इन व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निराश्रित श्वानों के संबंध में कोई भी कार्यवाही प्रचलित विधिक प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल न हो।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या–1107 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026 दिनांक 02–01–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 03–11–2026 तक आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था परन्तु खेद का विषय है कि कतिपय महाविद्यालयों के द्वारा ही प्रेषित की गयी है।

तद्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त विषय शासन के शीर्ष प्राथमिकता में से है जिन महाविद्यालयों के द्वारा अभी तक नोडल अधिकारी नही बनाया गया है उनकी सूची शासन को प्रेषित कर दी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी उक्त महाविद्यालय की होगी।

अतः उक्त प्रकरण की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए **संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपेक्षित सूचना अतिशीघ्र / तत्काल विश्वविद्यालय के ईमेल आई.डी. registrar@suksn.edu.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,** ताकि संकलित अनुपालन आख्या शासन को ससमय प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक– शासन के संदर्भित पत्र की प्रति।

04/11/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– / तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक– 1107 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026 दिनांक–02–11–2026

सेवा में,

1. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
 समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2. **नोडल अधिकारी,**
 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय परिसरों में निराश्रित श्वानों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1157 / सत्तर–3–2026–2006547 दिनांक 30–10–2026 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 25241 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 के अनुपालन में निराश्रित श्वानों से संबंधित सूचनाओं को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित कराने तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय परिसर में निराश्रित श्वानों की स्थिति, उनसे संबंधित शिकायतों अथवा घटनाओं, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा संबंधित स्थानीय निकाय / अधिकृत एजेंसी के माध्यम से की गई कार्यवाही का अभिलेखीय परीक्षण कर तथ्यात्मक एवं प्रमाणित सूचना तत्काल विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, महाविद्यालय स्तर पर एक उत्तरदायी अधिकारी (नोडल अधिकारी) को नामित करते हुए उसका नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएँ तथा संबंधित स्थानीय प्रशासन, नगर निकाय एवं अधिकृत पशु–कल्याण एजेंसियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करें। अपेक्षित सूचनाओं का निर्धारित पोर्टल www.nagarvikasup.org पर अंकन संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्देशों एवं अधिकृत लॉग–इन व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निराश्रित श्वानों के संबंध में कोई भी कार्यवाही प्रचलित विधिक प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल न हो।

प्रकरण की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपेक्षित सूचना दिनांक 03–11–2026 तक विश्वविद्यालय को ईमेल आई.डी. registrar@suksn.edu.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि संकलित अनुपालन आख्या शासन को ससमय प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक– शासन के संदर्भित पत्र की प्रति।

02/11/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– / तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या- 1157 /सत्तर-3-2026- 2006547

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 30 अक्टूबर, 2026

विषयः- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In ReCompliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2231 /9-8-2026-10ज/2023टी.सी.-1992903,लखनऊः दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 (छायाप्रति संलग्न), का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No.5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 (प्रति संलग्न) के क्रम में नगर विकास विभाग के पत्र संख्या-1854/9-8-2026-10/202321.08.2026 (संलग्न) के क्रम में राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर नोडल समिति का गठन किया गया है। प्रश्नगत रिट याचिका में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 में निराश्रित श्वानों के प्रभावी प्रबंधन हेतु आनलाइन पोर्टल विकसित किये जाने का आदेश भी दिया गया है, जिस पर समस्त संबंधित विभाग/अधिकारीगण अपने से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि मा० न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार अंकित कर सकेंगे।

2- उक्त संदर्भित पत्र के साथ यूपीडेस्को द्वारा सृजित लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड की सूची संलग्न उपलब्ध कराते हुए यूपीडेस्को द्वारा विकसित आनलाइन वेबपोर्टल जिसका डोमेन- www.nagarvikasup.org पर स्वयं से संबंधित सूचनायें वेबपोर्टल पर प्रविष्ट/अंकित कराने के संबंध में आवश्यक अग्रतर कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

3- सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या- 1053 /सत्तर-3-2026- 2006547,दिनांक 06-10-2026 के माध्यम से SANRAKSHAN पोर्टल जिसका डोमेन- www.nagarvikasup.org पर अपेक्षित सूचनाएं फीड करने एवं अपने संस्थान के स्तर पर विषयगत प्रकरण में नोडल अधिकारी नामित करते हुए नोडल अधिकारी एवं प्रकरण में विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की सत्यापित सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज कृपया जिले स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं उसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से शासन को दिनांक 01-11-2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 30-10-2026 12:08:01

भवदीय,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही की सत्यापित सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव।

VIJAY KUMAR PANDEY
Date: 29-10-2026 14:03:19
(विजय कुमार पाण्डेय)

E-mail

1159/अंतर-3-2026

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या-2231/9-8-2026-10ज/2023
लखनऊः दिनांक 15 अक्टूबर, 2026

संख्या 359 /ACSHED/2026

VS(SKS)

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/ पंचायतीराज/ पशुपालन/आवास एवं शहरी नियोजन/ परिवहन/ लोक निर्माण/ ग्राम्य विकास/ गृह/ बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा /खेल /युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

16/10/26
(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपया मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" में पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 (प्रति संलग्न) के क्रम में नगर विकास विभाग के पत्र संख्या-1864/9-8-2026-10ज/2023टी.सी., दिनांक 25.08.2026 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर नोडल समिति का गठन किया गया है।

524/VSO)/2026
JS(S)

2. प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2026 में निराश्रित श्वानों के प्रभावी प्रबंधन हेतु आनलाइन पोर्टल विकसित किये जाने का आदेश भी दिया गया है, जिस पर समस्त संबंधित विभाग/अधिकारीगण अपने से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि मा0 न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार अंकित कर सकें।

16/10/26

3. प्रकरण में यूपीडेस्को द्वारा आनलाइन वेबपोर्टल विकसित किया गया है, जिसका डोमेन-www.nagarvikasup.org है। उक्त वेबपोर्टल पर लॉग-इन कर सूचना अंकित किये जाने हेतु यूपीडेस्को द्वारा विभागवार, मण्डलवार एवं जनपदवार लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड सृजित करते हुए सूची उपलब्ध करायी गयी है।

अतः यूपीडेस्को द्वारा सृजित लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त के माध्यम से स्वयं से संबंधित सूचनायें वेबपोर्टल पर प्रविष्ट/अंकित कराने के संबंध में आवश्यक अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

(सर्वेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पारस नाथ)
अनु सचिव।

उपसचिव(C)
24/10/26

5.0-03
24/10/26

वीरेन्द्र
22.X.2026

Scanned with OKEN Scanner

के।

उपकरणों के सम्बन्ध में अदेयता

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या/864 /नौ-8-2026-10ज-2023टी.सी-1992903
लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2026

कार्यालय आदेश

निराश्रित पशुओं विशेषकर निराश्रित श्वानों (स्ट्रे डॉग्स) के प्रबंधन/प्रवासन के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सु-मोटो रिट पिटीशन(सिविल) संख्या-5/2025 "सिटी हाउण्डेड बाई स्ट्रेस किड्स पे प्राइस" बनाम आंध प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.05.2026 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में "रिट याचिका (सी) संख्या- 25241/2026 In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo-Moto Writ Petition Civil No. 5 Of 2025 Versus State Of U.P Through Secretary (Home) U.P At Lucknow" योजित की गयी है। उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2026 (प्रति संलग्न) को आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रकरण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.08.2026 में राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर समितियों के गठन के आदेश दिये गये हैं। उक्त के साथ प्रकरण में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नामित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का अंश निम्नवत है :-

> ".....4. Having regard to the nature and extent of the exercise required to be undertaken throughout the State, it is necessary that there be a coordinated mechanism for implementation and monitoring of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court. Accordingly, the State Government shall constitute a State Level Nodal Committee, headed by an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, which shall coordinate, monitor and ensure compliance throughout the State and shall be responsible for placing the consolidated status of compliance before this Court.
>
> 5. A three-tier mechanism shall be put in place. Apart from the State Level Nodal Committee, a Divisional Level Committee shall be constituted in each Division under the chairmanship of the Divisional Commissioner and a District Level Committee in each district under the chairmanship of the District Magistrate.
>
> 6. At the district level, the implementation mechanism shall separately cover the urban and rural areas and appropriate nodal officers shall be designated for both. In areas governed by a Municipality, the Chief Executive Officer/Executive Officer, as the case may be, shall be the nodal officer, and in areas governed by a Municipal Corporation, the Municipal Commissioner shall be the nodal officer for the respective urban area. The District Magistrate shall coordinate between the urban local bodies and the authorities responsible for the rural areas and shall

ensure that the information for the entire district is duly compiled and updated....."

2- मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 14.08.2026 के समादर में सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत समितियों का गठन एवं नोडल अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

राज्य स्तर पर गठित नोडल समिति

क्र० सं0	नाम / पदनाम	प्रस्थिति
1	सचिव, नगर विकास अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य सचिव
3	विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	विशेष सचिव, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	विशेष सचिव, बेसिक/माध्यमिक / उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14	विशेष सचिव, खेल विभाग / युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
15	निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
16	अपर नगर आयुक्त (पशु कल्याण), नगर निगम, लखनऊ, उ0प्र0	सदस्य
17	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ	सदस्य

मण्डल स्तर पर गठित समिति

क्र० सं0	**नाम / पदनाम**	**प्रस्थिति**
1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	अपर आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य सचिव
3	मण्डल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारीगण	सदस्य
4	मण्डल के नगर निगम वाले जनपदों के नगर आयुक्तगण	सदस्य
5	अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग	सदस्य
6	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग	सदस्य
7	संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
8	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
9	क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन विभाग	सदस्य
10	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
11	क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी, खेल विभाग	सदस्य
12	उप निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य

13	मण्डलायुक्त, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
14	मण्डल मुख्यालय के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य

जनपद स्तर पर गठित समिति

क्र० सं0	नाम / पदनाम	प्रस्थिति
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0)	सदस्य सचिव
3	नगर निगम वाले जनपद के नगर आयुक्त	सदस्य
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
5	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
7	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
11	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन विभाग	सदस्य
12	जिला क्रीडा अधिकारी, खेल विभाग	सदस्य

नोडल अधिकारी, नगरीय / स्थानीय निकाय

क्र० सं0	नगरीय / स्थानीय निकाय	नोडल अधिकारी
1	नगर निगम	नगर आयुक्त
2	नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत	अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय

नोडल अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र

प्रत्येक जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नोडल अधिकारी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी होंगे।

जिलाधिकारी नगरीय / स्थानीय निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उत्तरदायी प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुरूप समस्त कार्यवाही ससमय पूर्ण हो सके।

Digitally signed by
(मनु प्रसाद शर्मा)
Date: 24-08-2026 19:04:36

(मनु प्रसाद शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग/पशुधन विभाग/लोक निर्माण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/परिवहन विभाग/गृह विभाग/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा विभाग/खेल विभाग/युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
9. अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
11. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
12. अपर नगर आयुक्त (पशु कल्याण), नगर निगम लखनऊ।
13. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
14. अपर आयुक्त (प्रशासन) (समस्त मण्डल उ0प्र0)
15. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
16. अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग (समस्त मण्डल, उ0प्र0)
17. जिला विकास अधिकारी, समस्त जनपद।
18. जिला पंचायती राज अधिकारी, समस्त जनपद।
19. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
20. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0
21. क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन विभाग, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
22. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
23. क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, खेल विभाग, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
24. उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
25. मण्डलायुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
26. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, समस्त जनपद, उ0प्र0।
27. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, समस्त जनपद।
28. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समस्त जनपद उ0प्र0।
29. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन विभाग, समस्त जनपद उ0प्र0।
30. जिला क्रीड़ा अधिकारी, खेल विभाग, समस्त जनपद उ0प्र0।
31. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
32. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 25241 of 2026

In Re Compliance With The Directions Issued By The Supreme Court In Suo Motu Writ Petition Civil Nos5 Of 2025Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. Through Secretary (Home) U.P. At LucknowRespondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Kunal Shah, In Person
Counsel for Respondent(s)	:	Pranjal Mehrotra

Court No. - 1

HON'BLE AJIT KUMAR, J.
HON'BLE GARIMA PRASHAD, J.

1. Heard Sri Kunal Shah, learned Amicus Curiae, Sri Manoj Kumar Sharma, learned Standing Counsel assisted by Ms. Shruti Malviya, learned State Law Officer, and Sri Pranjal Mehrotra, learned counsel for the respondents.

2. Learned Standing Counsel for the State has filed an affidavit of the Special Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, in compliance with the order dated 29.07.2026. The affidavit encloses lists of institutions pertaining to various departments throughout the State. It also brings on record a communication issued by the State Government to all concerned departments requiring compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in its judgments dated 22.08.2025 and 07.11.2025, as also the Standard Operating Procedure (SOP) dated 27.11.2025 issued by the Animal Welfare Board of India (AWBI), a copy whereof has also been annexed with the affidavit.

3. The affidavits on behalf of the Union of India and the National Highways Authority of India (NHAI), in terms of the previous order, are yet to be filed. Learned counsel appearing for the said respondents shall ensure that the same are filed by the next date fixed.

4. Having regard to the nature and extent of the exercise required to be undertaken throughout the State, it is necessary that there be a coordinated mechanism for implementation and monitoring of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court. Accordingly, the State Government shall

constitute a State Level Nodal Committee, headed by an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government, which shall coordinate, monitor and ensure compliance throughout the State and shall be responsible for placing the consolidated status of compliance before this Court.

5. A three-tier mechanism shall be put in place. Apart from the State Level Nodal Committee, a Divisional Level Committee shall be constituted in each Division under the chairmanship of the Divisional Commissioner and a District Level Committee in each district under the chairmanship of the District Magistrate.

6. At the district level, the implementation mechanism shall separately cover the urban and rural areas and appropriate nodal officers shall be designated for both. In areas governed by a Municipality, the Chief Executive Officer/Executive Officer, as the case may be, shall be the nodal officer, and in areas governed by a Municipal Corporation, the Municipal Commissioner shall be the nodal officer for the respective urban area. The District Magistrate shall coordinate between the urban local bodies and the authorities responsible for the rural areas and shall ensure that the information for the entire district is duly compiled and updated.

7. The State Government shall, within two weeks, create a dedicated online portal for recording and monitoring compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court. The portal shall, at the initial stage, provide for the following:

8. The lists of institutions already identified by the State shall be uploaded on the portal district-wise, Department-wise and category-wise (Urban/ Rural).

9. It shall have provision for a separate entry for each institution containing its basic particulars, the administrative head or officer responsible, the concerned Department/local authority, Urban/ rural and the nodal officer responsible for compliance. The institution-wise particulars shall thereafter be progressively entered and updated by the concerned nodal officers at the District and Divisional level.

10. The portal shall also have provision for recording and updating, in respect of each institution, including—

(a) survey of the premises;

(b) securing of the premises against entry of stray dogs;

(c) number of stray dogs found and removed;

(d) sterilisation and vaccination of the dogs removed; and

(e) the shelter/place to which they have been shifted.

11. The portal shall provide for the status of each such step to be indicated as "Completed", "In Progress" or "Pending", along with the date of the latest update.

12. The concerned nodal officers shall have access to regularly update the information relating to institutions within their respective territorial jurisdictions, with a record of such updates being maintained. The District Magistrate, Divisional Commissioner and State Level Nodal Committee shall have access to monitor compliance at the District, Divisional and State levels respectively.

13. The portal shall be a live portal and not merely a one-time collection of information. The nodal officers shall update the information as and when further steps are taken, and the District, Divisional and State Level authorities shall regularly monitor the pending compliance.

14. The aforesaid features shall constitute only the basic requirements of the portal at the initial stage. The portal shall be kept capable of addition or modification of fields and features in accordance with further directions of this Court and the final framework/SOP which may be evolved in these proceedings.

15. The aforesaid mechanism, including constitution of the Committees, designation of nodal officers and creation of the portal, shall be put in place within a period of two weeks from today. All concerned officers shall ensure strict compliance within the time prescribed above.

16. Sri Kunal Shah, Ld Amicus Curiae, has pointed out that there appears to be a substantial discrepancy between the number of educational institutions disclosed in the affidavit filed by the State and the number reflected on the concerned portal/website of the Government of India. Learned Standing Counsel shall have the matter verified and ensure that the lists placed before this Court are complete, accurate and duly verified from the concerned Departments.

17. We make it clear that the exercise being undertaken concerns

implementation of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court throughout the State and must, therefore, be undertaken with due seriousness. The affidavits and data placed before this Court shall be duly verified from the concerned departments and authorities before being filed. Any casual or incomplete exercise in this regard shall be viewed seriously by this Court.

18. The State Level Nodal Committee shall ensure compliance with the aforesaid directions and place a consolidated status report before this Court on the next date fixed. The Union of India and NHAI shall also file their respective affidavits in terms of the order dated 29.07.2026 by the next date.

19. List on 31.08.2026.

August 14, 2026
Sachin Mishra

(Garima Prashad,J.) (Ajit Kumar,J.)

Digitally signed by :-
SACHIN MISHRA
High Court of Judicature at Allahabad